



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230064
CG-DL-E-30092021-230064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943

No. 558]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 675(अ).—पूर्व राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. सं. 309 (अ) दिनांक 18 मई, 2020 और सा.का.नि. सं. 417 (अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2017 का अधिक्रमण करते हुए और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 3) की धारा 33-च की उप-धारा (1) और धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 165 के अंतर्गत निर्धारित योग्यता के अनुसरण में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के सम्बन्ध में डॉ. जी.वी.आर. जोसफ, प्रभारी संयुक्त निदेशक और श्रीमती देवकी पंत, अनुसंधान अधिकारी (प्रशिक्षण), भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच), गाजियाबाद को पूरे भारत के लिए सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं.टी.11011/10/2021-डीसीसी(आयुष)]

कविता गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2021

G.S.R. 675(E).—In supersession of previous Gazette notification vide G.S.R. No. 309 (E) dated 18th May 2020 and G.S.R. No. 417 (E) dated 28th April 2017 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33-F and Sub-section (2) of the Section 20 Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, hereby appoints Dr, G.V.R. Joseph, Joint Director I/c and Smt. Devki Pant, Research Officer(Training), Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy (PCIM&H), Ghaziabad as Government Analyst for the whole of India in respect of Ayurvedic, Siddha, Unani and Homeopathy drugs in accordance with the qualification prescribed under Rule 165 of the Drugs & Cosmetics Rules, 1945.

[F.No.T.11011/10/2021-DCC (AYUSH)]

KAVITA GARG, Jt. Secy.